न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०),हरदोई।

(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)

सत्र परीक्षण संख्या–39/2018

सरकार बनाम रामजी गुप्ता आदि

सी०एन०आर०नं०–यूपी एचआर 010002802018

JO Code–UP1577

दिनांक 25–02–2021

1. पत्रावली आदेश पेश हुयी।

2. प्रार्थीगण बृजेश उर्फ बीनू, रवीन्द्र यादव एवं पवन शर्मा की तरफ से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 228(1) दं०प्र०सं० 5ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण उपरोक्त वाद में अभियुक्त हैं। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है। अभियोजन कथनानुसार उपरोक्त अभियोग में अपराध धारा 272 भा०दं०सं० सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है तथा शेष अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 272 भा०दं०सं० का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोग में कथित बरामद शराब अपमिश्रित एवं हानिकारक नहीं पायी गयी है जैसाकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट कागज संख्या 9अ/1 से स्पष्ट है। ऐसी दशा में धारा 272 भा०दं०सं० की परिधि में उपरोक्त अभियोग नहीं आता है। कोई खाद्य अथवा पेय पदार्थ मिश्रित है तो उक्त अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है तथा उक्त अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत वाद चलाया जा सकता है। पुलिस को अपराध दर्ज कर विवेचना करने का अधिकार नहीं है। जैसाकि विधि व्यवस्था महेश कुमार अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य 2013(3)JIC 335 (All) एवं बांके बिहारी अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2013(5)ADJ पृष्ठ 201 में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रतिकूल है।उपरोक्त अभियोग में संकलित साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक के अनुसार अभियोग का विचारण अवर न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है।

3. प्रार्थी अनूप कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र 6ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में पत्रावली पर प्रार्थी के विरूद्ध कोई ठोस प्रमाण दर्शाये गये आरोपों के बावत नहीं है। केस डायरी में इस बात का सबूत नहीं है कि बरामदशुदा स्टीकर रैपर, होलोग्राम, ढ़क्कन होलोग्राम आदि प्रार्थी के द्वारा कूटरचित किये गये हैं। इसके अभाव में 467 आई०पी०सी० व 468 आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनता

`

है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ 120 बी आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मिथाइल अल्कोहल परीक्षण परिणाम नकारात्मक पाए गए हैं। जिस कारण धारा 272 आई०पी०सी० का भी अपराध नहीं बन रहा है। पुलिस ने प्रार्थी को घर से पकड़ा जिसकी बावत मीडिया ने सम्मानित अखबारों में भी छापा था इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस ने घटनास्थल बिलग्राम से नहीं पकड़ा अपितु थाना साण्डी के क्षेत्र से पकड़ा था। इस प्रकार प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थी आरोप मुक्त होने योग्य है।

4. प्रार्थी अनंग पाल द्वारा प्रार्थना पत्र 9 ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में पत्रावली पर प्रार्थी के विरूद्ध कोई ठोस प्रमाण दर्शाये गये आरोपों के बावत नहीं है। केस डायरी में इस बात का सबूत नहीं है कि बरामदशुदा स्टीकर रैपर, होलोग्राम, ढ़क्कन होलोग्राम आदि प्रार्थी के द्वारा कूटरचित किये गये हैं। इसके अभाव में 467 आई०पी०सी० व 468 आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनता है। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के खिलाफ 120 बी आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनेगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मिथाइल अल्कोहल परीक्षण परिणाम नकारात्मक पाए गए हैं। जिस कारण धारा 272 आई०पी०सी० का भी अपराध नहीं बन रहा है। कोई खाद्य अथवा पेय पदार्थ मिश्रित है तो उक्त अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आता है तथा उक्त अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत वाद चलाया जा सकता है। पुलिस को अपराध दर्ज कर विवेचना करने का अधिकार नहीं है। इसके द्वारा भी प्रार्थना पत्र 5 ब में वर्णित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उपरोक्त अभियोग में संकलित साक्ष्य एवं अभियोजन कथानक के अनुसार अभियोग का विचारण अवर न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। उक्त मुकदमें में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो भी गवाह बनाये गये हैं वादी के सहयोगी व कर्मचारी के दबाव में बनाये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थी आरोप मुक्त होने योग्य है।

5. प्रार्थी रामजी गुप्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमा में स्थानीय पार्टीबन्दी के कारण झूठा फंसाया गया है प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी न मौके पर था और न ही मौके पर पकड़ा गया और न ही उसके पास से कोई सामान बरामद हुआ है। प्रार्थी का नाम सहअभियुक्तगण के बताने पर पुलिस ने दर्शाया है। धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी पुलिस आफीसर से की गयी कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं की जायेगी। जिससे भी प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। उक्त मुकदमें में धारा 467,

`

468, 471, 120 बी, 419, 420 आई०पी०सी० का भी अपराध नहीं बनता है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मिथाइल अल्कोहल परीक्षण परिणाम नकारात्मक पाए गए हैं। जिस कारण धारा 272 आई०पी०सी० का भी अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी जनपद हरदोई का रहने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति है। प्रार्थी की पत्नी कथित समय साण्डी नगरपालिका परिषद की चेयरमैन थी। उस समय सत्ता पक्ष के नेताओं से प्रार्थी की रंजिश चल रही थी इसलिए नेताओं ने प्रार्थी को झूठा लिखवा दिया। उक्त मुकदमें में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो भी गवाह बनाये गये हैं वादी के सहयोगी व कर्मचारी के दबाव में बनाये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थी आरोप मुक्त होने योग्य है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की तरफ से उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया है उन्हें निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में इसी अपराध के अन्य अभियुक्तगण रामलखन, विपिन और नीरज उर्फ पप्पू द्विवेदी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेते हुये आरोप विरचित किये जा चुके हैं। अन्य अभियुक्तगण/प्रार्थीगण बृजेश उर्फ बीनू, रवीन्द्र यादव, पवन शर्मा, अनूप कुमार, अनंगपाल एवं रामजी गुप्ता द्वारा धारा 228 दं०प्र०सं० के तहत उनके विरूद्ध आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार नहीं होने तथा यदि कोई आरोप विरचित करने योग्य है भी तो वह मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होने का आधार लेते हुये अपना पक्ष रखा गया।

8. स्थापित विधि के अनुसार आरोप के विरचन के पूर्व, न्यायालय को चाहिए कि वह उसके समक्ष पेश की गयी सामग्री और दस्तावेजों का उचित रूप से मूल्यांकन करे और इस बात का पता लगाने के लिए अपना चित्त लगाये कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या साक्षियों के कथनों के किसी तथ्यों से या संकलित साक्ष्यों से अभिकथित अपराध के तत्वों का होना पाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा AIR** 1996 **S.C.** 1744 के विधिक दृष्टांत में यह अवधारित किया है कि यह राय बनाने का आधार मौजूद होना ही चाहिए कि अभियुक्त ने वह अपराध किया था और ऐसे प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अवश्य बनना चाहिए। माननीय न्यायालय ने अपने विधिक दृष्टांत **सुरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR** 2002 **S.C.** 1375 एवं **मध्यप्रदेश राज्य बनाम मोहनलाल सोनी AIR** 2002 **S.C.** 2583 में यह अवधारित किया है कि केवल प्रथम दृष्टया मामला बनते देखने के अतिरिक्त कोर्ट को यह नहीं देखना है कि दोषसिद्धि संभव हो सकेगी। प्रत्येक केस अपने तथ्य व परिस्थितियों पर आधारित होता है और न्यायिक आधार पर पता लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्त मामलें में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलग्न है अथवा

`

नहीं। यह प्रकरण भी चूंकि आरोप विरचन हेतु लम्बित है ऐसे में अभियुक्तगणों को उचित सुनवाई और विचारण का अवसर प्रदान करते हुये उन दस्तावेजों को भी आरोपों के विरचन के स्तर पर देखा जाना चाहिए जिन पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अभियुक्त निर्भर कर सकते हैं। ऐसी ही मंशा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विधिक दृष्टांत **हेमचंद्र बनाम झारखण्ड राज्य AIR** 2008 **S.C.** में व्यक्त की है।

9. उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया गया है कि उनके विरूद्ध अपराध 272 दं०प्र०सं० का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आधारस्वरूप पत्रावली में उपलब्ध कागज संख्या 9अ/1 विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई खाद्य अथवा पेय पदार्थ अपमिश्रित है तो उक्त अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आयेगा न कि उस प्रकरण में पुलिस को अपराध दर्ज कर विवेचना करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस प्रकरण में उनके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया को गलत बताया गया है और समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के विधिक दृष्टांत महेश कुमार अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य 2013(3)JIC 335 (All) एवं बांके बिहारी अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2013(5)ADJ पृष्ठ 201 में विश्वास व्यक्त किया गया है।

10. उक्त बिन्दुओं को स्पष्ट करने से पूर्व सर्वप्रथम धारा 272 भा०दं०सं० के प्रावधानों का उल्लेख समीचीन है। धारा 272 आई०पी०सी० प्रावधान करती है कि

"जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जायेगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से--- "

11. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत धारा 272 आई०पी०सी० लागू होने के लिए आशय, अपमिश्रण और खाद्य वस्तु को अपायकर बनाये जाने का पहलू महत्वपूर्ण रूप में दर्शित हुआ है। उल्लेखनीय है कि अपमिश्रण या खाद्य या अपायकर तीनों को ही भारतीय दण्ड संहिता में पारिभाषित नहीं किया गया है किन्तु उनके संदर्भ में परिभाषा और विवरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 के अलग-अलग उपखण्डों में वर्णित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(क)(छ)(ञ)(प)(य भ)(य य) का उल्लेख सुसंगत है जिसमें किसी खाद्य, अपद्रव्य, संदूषक, परिसंकट, अवमानक एवं असुरक्षित खाद्य समझे जाने की परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। उपरोक्त परिभाषाओं का सारांश यह है कि यदि किसी विक्रेता द्वारा विक्रित वह पदार्थ ऐसे स्वरूप, तत्व या गुणवत्ता का नहीं है जैसे क्रेता द्वारा मांगा गया है और उसके लिए हानिकारक है अथवा ऐसे स्वरूप,

`

तत्व या गुणवत्ता का नहीं है जैसा होना तात्पर्यित या व्यपदिष्ट है। यदि उस पदार्थ में कोई अन्य चीज है जो उसके स्वरूप, तत्व या गुणवत्ता को हानिकर रूप से प्रभावित करती है अथवा यदि वह पदार्थ इस प्रकार प्रसंस्कृत है कि उसका हानिकर प्रभाव पड़ता है या उस पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता विहित मानक से कम है या उसके घटक इतने परिमाण में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता में विहित सीमा के अंदर नहीं है। परिणामस्वरूप वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाता है।

12. उक्त अधिनियम की धारा 3(1)(क) अपद्रव्य को पारिभाषित करते हुये असुरक्षित या अवमानक द्रव्य को भी इस श्रेणी में रखती है। इसी प्रकार धारा3(छ) संदूषक की परिधि में किसी बाहरी पदार्थ को नहीं मिलाने के बावजूद उस खाद्य के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, उपचार, पैकिंग, पैकेजिंग, परिवहन या धारण करने मात्र में भी पर्यावरणीय संदूषक होने पर वह अपद्रव्य बन जाता है। धारा 3(ञ) खाद्य को पारिभाषित करते हुये उसमें अल्कोहाली पेय को सम्मिलित किया है। धारा 2(प) खाद्य की किसी अवस्था को भी जो स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले परिसंकट के रूप में मानता है। इसी प्रकार धारा 2(य भ) उन खाद्य पदार्थों को भी अवमानक मानता है जो विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता है। इसी प्रकार धारा (य य) खाद्य पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता की उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जो उस खाद्य को स्वास्थ के लिए हानिकारक बना देती है।

13. उपरोक्त प्रावधान के आलोक में इस प्रकरण के तथ्यों को देखा जाना आवश्यक है। जैसाकि इस प्रकरण में शराब के निर्माण से जुड़े उपकरण, उसके व्यापार से संबंधित कई प्रपत्र और अपमिश्रित प्रकृति की विदेशी मदिरा, कई ब्राण्डों के नकली स्टीकर, फर्जी होलोग्राम, आयुध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हथियार, अपमिश्रित शराबों को तैयार करने की सामग्री एवं काफी मात्रा में शराब बिना लाइसेन्स के पकड़ी गयी है और इन आधारों पर पुलिस द्वारा धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 272 आई०पी०सी० तथा धारा 60, 62 एवं 72 आबकारी अधिनियम के तहत विवेचनोपरांत आरोप पत्र प्रेषित किये गये। प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट 9 अ/1 पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें परीक्षण हेतु भेजे गये सैम्पल की रासायनिक एवं उपकरणीय विधियों के प्रयोग द्वारा अवमिश्रित शराब पाये जाने का उल्लेख किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह अवमिश्रित सुरा निबंध में उत्तर प्रदेश की विक्रय हेतु अनुमोदित आंसवनियों द्वारा निर्मित सुरा से भिन्न पायी गयी है और नमूनों में अल्कोहल की मात्राएं भिन्न–भिन्न पायी गयी हैं। एक सैम्पल में इथाइल अल्कोहल भी पाया गया है और अल्कोहल की मात्रा 92.0 प्रतिशत आयतन पायी गयी है। यद्यपि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कथनानुसार मिथाइल अल्कोहल का परीक्षण नकारात्मक पाया गया और रिपोर्ट में भी डीनैचुरेट्स मिथाइल अल्कोहल परीक्षण को नकारात्मक प्रदर्शित किया गया है। सिर्फ इसी बिन्दु को लेकर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

द्वारा इस प्रकरण में धारा 272 आकृष्ट नहीं होने पर निरंतर बल दिया जा रहा है।

14. इस संदर्भ में उपरोक्त परिभाषा के आवश्यक तत्व एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि धारा 272 आकृष्ट होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसका अपमिश्रण अनिवार्य रूप से किसी बाहरी वस्तु को मिलाकर के ही किया जाये बल्कि वह उस पदार्थ की अपेक्षित गुणवत्ता और शुद्धता के लिए आवश्यक घटकों की मान्य मात्रा की भिन्नता से भी उत्पन्न हो जाती है यदि वह स्वास्थ्य के लिए अपायकर हो जाये। यहां तक कि यदि उस पदार्थ की गुणवत्ता या शुद्धता विहित मानक से कम है या उसके घटक इन परिमाणों में विद्यमान हैं जो मान्य भिन्नता की विहित सीमा के अंदर नहीं है तो भी, प्राकृतिक कारणों और मानवीय नियंत्रण से बाहर होने की परिस्थितयों को छोड़कर, वह अपमिश्रित वस्तुओं की श्रेणी में आ जायेगी, भले ही स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो।

15. प्रश्नगत प्रकरण में उसी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रयोगशाला को प्रेषित समस्त सैम्पल अपमिश्रित सुरा की श्रेणी में पाये गये हैं और निबंध में उत्तर प्रदेश की विक्रय हेतु अनुमोदित आंसवनियों द्वारा निर्मित सुरा से भिन्न पायी गयी है। ऐसे में सिर्फ डीनैचुरेट्स मिथाइल अल्कोहल के परीक्षण के नकारात्मक हो जाने मात्र से प्रश्नगत पेय(सुरा) अवमिश्रण की श्रेणी से बाहर नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में धारा 272 आई०पी०सी० के आवश्यक तत्व इस स्तर पर प्रथम दृष्टया विद्यमान हैं।

16. जहां तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के विधिक दृष्टांत महेश कुमार अग्रवाल बनाम उ०प्र० राज्य 2013(3)JIC 335 (All) एवं बांके बिहारी अग्रवाल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य 2013(5)ADJ पृष्ठ 201 में विश्वास व्यक्त करते हुये इस बात पर बल दिया गया है कि इस प्रकरण में पुलिस को अपराध दर्ज कर विवेचना करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और इस प्रकरण में यदि खाद्य और पेय पदार्थ अपमिश्रित है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत ही वाद चलाया जा सकता है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त विधिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन करने के उपरांत यह पाया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों पर उपरोक्त दृष्टांत आकृष्ट नहीं होता। चूंकि उपरोक्त दृष्टांत में सुरा से संबंधित प्रकरण निहित नहीं था और जिन आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस के विवेचना और धारा 173 सी०आर०पी०सी० की रिपोर्ट करने की शक्ति एवं तदनुरूप न्यायालय के विचारण को सही नहीं ठहराया गया है एक अन्य प्रसंग में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अद्यतन विधिक दृष्टांत **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सैयद हसन सैयद सुभान एवं अन्य दाण्डिक अपील संख्या 1195/2018** उत्पन्न स्पेशल लीव पिटीशन (दाण्डिक संख्या 4475/2016) एवं लगभग 12 अन्य दाण्डिक अपीलों को एक साथ निस्तारित करते

`

हुये पैरा 7 एवं 8 में यह अवधारित किया है कि पुलिस को भी भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है–––

7. There is no bar to a trial or conviction of an offender under two different enactments, but the bar is only to the punishment of the offender twice for the offence. Where an act or an omission constitutes an offence under two enactments, the offender may be prosecuted and punished under either or both enactments but shall not be liable to be punished twice for the same offence. The same set of facts, in conceivable cases, can constitute offences under two different laws. An act or an ommission can amount to and constitute an offence under the IPC and at the same time, an offence under any other law. The High Court ought to have taken note of Section 26 of the General Clauses Act, 1897 which reads as follows:

"***Provisions as to offences punishable under two or more enactments***– *Where an act or ommission constitutes an offence under two or more enactments, then the offender shall be liable to the prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offence.*"

8. In Hat Singh's case this Court discussed the doctrine of double jeopardy and section 26 of the General Clauses Act to observe that prosecution under two different Acts is permissible if the ingredients of the provisions are satisfied on the same facts. While considering a dispute about the prosecution of the Respondent therein for offences under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 and Indian Penal Code, this Court in **State (Nct of Delhi)** v. **Sanjay** held that there is no bar in prosecuting persons under the Penal code where the offences committed by persons are penal and cognizable offences. A persual of the provisions of the FSS Act would make it

`

clear that there is no bar for prosecution under the IPC merely because the provisions in the FSS Act prescribe penalities. We, therefore, set aside the finding of the High Court on the first point.

17. इस प्रकार इस प्रकरण में भी यह स्पष्ट है कि भले ही इस अपराध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 आकृष्ट होता हो बावजूद इसके पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकरण कर भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियमों के अपराधों की विवेचना करने या न्यायालय द्वारा उसका विचारण किये जाने में विधितः कोई अवरोध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण से तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित धाराओं में समान आशय से अपराध किये जाने की प्रबल संभावना का संदेह उत्पन्न होता है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री उक्त धाराओं के अपराध को किये जाने के बारे में इस प्रबल संदेह को बलवान बना रही है।

18. अतः इस प्रकरण में अभियुक्तगण बृजेश उर्फ बीनू, रवीन्द्र यादव, पवन शर्मा, अनूप कुमार, अनंगपाल एवं रामजी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र क्रमशः 5 ब, 6 ब, 8 ब, एवं 9 ब बलहीन पाते हुये निरस्त करने व उनके विरूद्ध धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 272 आई०पी०सी० तथा धारा 60, 62 एवं 72 आबकारी अधिनियम के अधीन समान आशय से कृत कार्य के लिए दण्डनीय आरोप लगाने हेतु पर्याप्त बिन्दु बनते हुये पाये जाते हैं।

<u>आदेश</u>

19. प्रार्थीगण बृजेश उर्फ बीनू, रवीन्द्र यादव, पवन शर्मा, अनूप कुमार, अनंगपाल एवं रामजी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ब, 6 ब, 8 ब, एवं 9 ब निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण पर धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 272 आई०पी०सी० तथा धारा 60, 62 एवं 72 आबकारी अधिनियम सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के तहत आरोप लगाया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से दिनांक 17–03–2021 को उपस्थित हो ताकि आरोप विरचन की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

दिनांक 25–02–2021

(वायु नन्दन मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश,(एफ०टी०सी०) हरदोई।
(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)
ID No–UP 1577

`